न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी एल0आर0गुगरवाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या 38/2016 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये संजय सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा

बनाम

1. श्री गौतम पानगडिया पुत्र श्री दौलतमल पानगडिया विक्रेता मैसर्स एस.एस. एग्जिम जित्या खेडा पो. दाथल, जिला भीलवाडा स्थाई पता – ए–43 श्री गेस्ट हाउस के पीछे, संजय कोलोनी भीलवाडा।
2. श्रीमति सुविधा पानगडिया पत्नि श्री गौतम पानगडिया मालिक मैसर्स– एस.एस. एग्जिम जित्या खेडा पो. दाथल, जिला भीलवाडा स्थाई पता – ए–43 श्री गेस्ट हाउस के पीछे, संजय कोलोनी भीलवाडा।

– प्रार्थी **––विपक्षी**

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 52

उपस्थित–

1 श्री संजय सिह खाद्य सुरक्षा अधिकारी भीलवाडा

2 विपक्षीगण स्वयं उपस्थित

दिनांक 05.04.2017

आदेश

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प–1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षैत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा ने विपक्षी के विरूद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विपक्षी गौतम पानगडिया पुत्र श्री दौलतमल पानगडिया विक्रेता मैसर्स एस.एस. एग्जिम जित्या खेडी, पो.– दाथल, जिला भीलवाडा का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय बाबत् 1–1 किलो लाल मिर्चपाउडर ब्राण्ड एस.एस. एग्जिम की 30 पैकेट पैक अवस्था में रखे हुए थे। एक पैकेट को ध्यान से देखन पर ब्राण्ड एस.एस. एग्जिम लाल मिर्चपाउडर Batch No. 41, Net Weight 1 Kg, Mfg. Date 20-03-2016, Best Befor 8 Months From Date of Packing., Mfg.& PKR By M/s S.S Exi, Jitiya Khedi Danthal, Distt. Bhilwara Raj. इत्यादि अंकित था। लाल मिर्चपाउडर ब्राण्ड एस.एस. एग्जिम मे मिलावट व मिसब्राण्ड का शक होने पर एफएसएसए 2006 एक्ट के तहत उल्लेखित प्रावधानों के तहत नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना कारोबारकर्ता को फोर्म 5 ए में दी व रसीद प्राप्त की। नियमानुसार लाल

न्याय निर्णय ... मजिस्ट्रेट
(खाद्य ... 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

मिर्चपाउडर ब्राण्ड एस.एस. एग्जिम का नमूना लेकर वासते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया । बाद जाँच नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया। न्यायनिर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षैत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म **5-A** की प्रति,रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, फर्म के खाद्य लाईसेंस की प्रति खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म–6 मेमोरेण्डम, खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र, अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.03.2016 को समय 04:10 PM बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने गश्त चैकिंग हेतु मैसर्स एस.एस. एग्जिम जित्या खेडा पो. दाथल, जिला भीलवाडा पर पहुचा। मैंने विक्रेता को परिचय दिया परिचय पत्र दिखाया एवं विक्रेता का परिचय लिया इस समय निर्माण ईकाई पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत गौतम पानगडिया पुत्र श्री दौलतमल पानगडिया विक्रेता उम्र 43 वर्ष, जाति पानगडिया निवासी ए–43 श्री गेस्ट हाउस के पीछे, संजय कोलोनी भीलवाडा उपस्थित था एवं आम जनता को उपयोग हेतु मिर्च पाउडर, लाल धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर इत्यादि का निर्माण कर आम जनता को विक्रय कर रहा था। विक्रेता से खाद्य लाईसेन्स की प्रति मांगी गई, जिसे विक्रेता द्वारा मौके पर पेश किया गया।

विक्रेता एवं गवाहों की उपस्थिति में निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय बाबत 1–1 किलो लाल मिर्चपाउडर ब्राण्ड एस.एस. एग्जिम की 30 पैकेट पैक अवस्था में रखे हुए थे। एक पैकेट को ध्यान से देखने पर ब्राण्ड एस.एस. एग्जिम लाल मिर्चपाउडर Batch No. 41, Net Weight 1 Kg, Mfg. Date 20-03-2016, Best Befor 8 Months From Date of Packing., Mfg.& PKR By M/s S.S Exi, Jitiya Khedi Danthal, Distt. Bhilwara Raj इत्यादि अंकित था। मिलावट एवं मिसब्राण्ड का शक होने पर एफएसएस एक्ट 2006 के तहत उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत खाद्य नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को फार्म 5 ए में दी एवं रसीद प्राप्त की।

मौके पर गवाह एवं विक्रेता की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ लाल मिर्चपाउडर ब्राण्ड एस.एस. एग्जिम, Batch No. 41 के 1–1 किलो के 4 पैकेट वास्ते जाँच खरीदे एवं इस बाबत् 640/– रू. अक्षरे छः सौ चालीस रूपये मात्र नकद देकर रसीद प्राप्त की। इन खरीदशुदा चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार भर कर उन पर श्रीमान् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) के कोड एवं क्रमांक एक्स–89 दर्ज कर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व मैनें स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर एवं किनारों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग पर पेपर स्लिप कोड़ एवं सीरीयल नं. एक्स–89 जो श्रीमान् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी भीलवाडा डॉ. जगदीश चन्द्र जीनगर द्वारा हस्ताक्षरित थी, जो कि आवेदक के पास उपलब्ध थी, को चारों नमूना भागों पर सिर से लेकर पेंदे तक एवं पेंदे से सिर तक लगातार नियमानुसार गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह ऊपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपडी किया । नमूना भागों पर नमूने का विवरण अंकित कर मैनें व गवाहों ने हस्ताक्षर किये। प्रत्येक सील्ड नमूना भागों पर विक्रेता श्री गौतम पानगडिया पुत्र श्री दौलतमल पानगडिया के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आ गये। चारों सील्ड नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। मौका फर्द तैयार कर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर करवाये गये। लिये गये खाद्य नमूना सख्यां एक्स 89 को खाद्य प्रयोगशाला अजमेर भिजवाया गया। शेष बचे भागों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा करावाया गया।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिर्पोट सं. L.S.161/ACT/2016/210 दिनांक 1.04.2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच लिया गया खाद्य नमूना, लाल मिर्च पाउडर ब्राण्ड एसएस एग्जिम निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण मिसब्राण्डेड (Misbranded) होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवदेन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने बाबत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को में पेश किया।

जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षी संख्या 1 गौतम पानगडिया पुत्र श्री दौलतमल पानगडिया विक्रेता मैसर्स एसएस एग्जिम जित्या खेडी पो. दाथल जिला भीलवाडा, व विपक्षीगण 2 द्वारा मिसब्राण्डेड लाल मिर्च पाउडर ब्राण्ड एसएस एग्जिम का विक्रय एवं निर्माण कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में 29.08.2016 को प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 25.07.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 29.08.2016 को कार्यालय हाजा में स्वंय या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में आज विभागीय पैरोकार उपस्थित । विपक्षी उपस्थित है।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना लाल मिर्च पाउडर ब्राण्ड एसएस एग्जिम मिसब्राण्डड होना पाया गया है । प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि लाल मिर्च पाउडर ब्राण्ड एसएस एग्जिम के लेबल पर अंकित होने वाली **'बेस्ट बिफोर' का अंकन अग्रेंजी वर्ण माला के केप्टिल अक्षरों में लिखा जाना चाहिए एवं विकेता/निर्माता फर्म ने बेस्ट बिफोर का अंकन Food Safety and Standard (Packaging & lebeling) Regulatiojn, 2011 के रूल्स 2.2.2. (10) का उल्लघंन किया है।** इसलिए लिया गया नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया एवं विपक्षीगणों द्वारा मिसब्राण्डड लाल मिर्च पाउडर ब्राण्ड एसएस एग्जिम का निर्माण एवं विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 मे निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से निवेदन किया गया कि न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षियों के विरूद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय किया जावे। विभागीय पैरोकोर ने यह भी निवेदन किया कि खाद्य प्रयोगशला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा नमूना लिये जाने वाली फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया , किन्तु नमूना लिये जाने वाली फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षीगण जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट हैं ।

विपक्षी ने अपनी बहस में बताया कि उनके द्वारा कारोबार का संचालन कुछ समय पूर्व ही प्रारम्भ किया गया हैं एवं एक्ट की जानकारी नहीं होने के कारण पैकिगं सामग्री पर लेबल का पूर्ण

विवरण का अंकन नहीं करवाया जा सका । पैकिंग थैली का निर्माण भी बाहर से होता हैं । विपक्षी के द्वारा नयी पैकिंग सामग्री का निर्माण करवा लिया हैं एवं पुरानी पैकिंग सामग्री को नष्ट कर दिया गया हैं एवं विपक्षी द्वारा तैयार लाल मिर्च पाउडर मानक कोटि होना पाया गया । मात्र लेबल में कमी पायी गयी हैं। अतः प्रथम मानवीय भूल मानते हुए, सहानुभूतिपूर्वक विचार रखते हुए इस प्रकरण में माफ करने का निवेदन किया गया ।

उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। **खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिपोर्ट सं. L.S.161/ACT/2016/210 दिनांक 01.04.2016 के अनुसार विक्रेता से जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, लाल मिर्च पाउडर (ब्राण्ड – एस एस एक्जिम) मानक कोटि का नहीं होने के कारण मिसब्राण्डेड (MISBRANDED) होना पाया गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि लाल मिर्च पाउडर (ब्राण्ड – एस एस एक्जिम) के लेबल पर बेस्ट बिफोर का अंकन अग्रेंजी वर्ण माला के केप्टिल अक्षरो में लिखा जाना चाहिए एवं विकेता/निर्मिता फर्म ने बेस्ट बिफोर का अंकन केप्टिल लेटर में नही करके Food Safety and Standard (Packaging & lebeling) Regulation, 2011 के रूल्स 2.2.2. (10) का उल्लघंन किया है। इसलिए लिया गया नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया** एवं विपक्षीगणों द्वारा मिसब्राण्डेड लाल मिर्च पाउडर (ब्राण्ड – एस एस एक्जिम) का निर्माण एवं विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है , जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 मे निर्धारित है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षीगण को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्वान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षीगण संख्या 1 एवं 2 द्वारा उल्लघंन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूवरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत विपक्षीगण संख्या 01 पर 50,000/–रूपये (अक्षरे पचास हजार रूपये) एवं विपक्षी सं. 02 पर 50,000/–रूपये (अक्षरे पचास हजार रूपये) कुल राशि 1,00,000/–रू. अक्षरे एक लाख रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षीगण संख्या 01 एवं 02 उपरोक्त शास्ति निर्णय दिनांक से 3 माह के अन्दर कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में जमा करा कर रसीद प्राप्त करें। उक्त अवधि में शास्ति राशि जमा नहीं कराने पर विहित अधिनियम की धारा 96 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये रा.भू.रा. अधिनियम 1956 में अंकित प्रावधानों के अनुसार विपक्षीगण के विरूद्व वसूली कार्यवाही की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05/04/17

(एल0आर0गुगरवाल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है--

1 खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जनस्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ राजस्थान जयपुर
2 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा
3 कैशियर, जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा

4 श्री गौतम पानगडिया पुत्र श्री दौलतमल पानगडिया विक्रेता मैसर्स एस.एस. एग्जिम जित्या खेडा पो. दाथल, जिला भीलवाडा स्थाई पता – ए–43 श्री गेस्ट हाउस के पीछे, संजय कोलोनी भीलवाडा।

5 श्रीमति सुविधा पानगडिया पत्नि श्री गौतम पानगडिया मालिक मैसर्स– एस.एस. एग्जिम जित्या खेडा पो. दाथल, जिला भीलवाडा
स्थाई पता – ए–43 श्री गेस्ट हाउस के पीछे, संजय कोलोनी भीलवाडा।

05.4.17

(एल0आर0गुगरवाल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)